प्रथम संस्करण: जनवरी 2025

"न्याय रो सारथी"

(विधिक जागरूकता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक अनूठी पहल)

"हम जो करते है और हम जो कर सकते है, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा।"

-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

राजस्थान उच्च न्यायालय अपनी स्थापना के गौरवमयी 75 वर्ष पूर्ण कर वर्ष 2024 को प्लेटिनम जुबली महोत्सव वर्ष अंगीकार करते हुए इस न्यायिक कल्पवृक्ष को सिंचित करने वाले न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं अन्य सभी समपूरक इकाईयों को सम्मानित करते हुए एक पर्व के रूप में मना रहा है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक विधायी संस्था है, जो कि उच्च न्यायालय का ही एक पृथक संस्थान है जिसका दायित्व नागरिकों के मध्य उनके विधिक अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रचार-प्रसार करना तथा उन्हें विधिक साक्षरता एवं सहायता प्रदान करना है। यह प्राधिकरण जिला एवं तालुका स्तर पर अवस्थित समाज के उपेक्षित व वंचित वर्ग को न्याय के समान अवसर उपलब्ध करवाने, अधिकारों को संरक्षित करने तथा सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरा यह मानना है कि अपने अधिकारों एवं दायित्वों तथा उनके परिप्रेक्ष्य में सृजित योजनाओं के विषय में जानकार एवं जागरूक नागरिक एक संगठित, सुशिक्षित, अपराध रहित तथा मजबूत न्याय प्रणाली से शासित सभ्य समाज का गठन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विधिक व्यवस्था, विधि की अनुपालना तथा विधि के अंतर्गत न्याय प्राप्त करने के विषय की जानकारी होना आवश्यक है। कानून की मूलभूत जानकारी का अभाव अंततः नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन होने का भय प्रदान करता है। इसके विपरीत नागरिक विधिक व्यवस्था एवं योजनाओं के विषय में जितने अधिक जानकार होंगे उतना ही योगदान उनके द्वारा एक शिक्षित, अनुशासित एवं सभ्य समाज की ओर किया जाएगा।

मेरा विश्वास है कि प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे इस प्रकाशन से ना सिर्फ राज्य की बड़ी जनसंख्या उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु सृजित लाभकारी कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेगी बल्कि उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी कि उनके अधिकारों का हनन होने पर उन्हें किस प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करनी है तथा किस कार्यालय एवं अधिकारी से संपर्क करना है। यह प्रकाशन निश्चित रूप से पीड़ित मानवता के लिए सहायक सिद्ध होगा।

इस अभिनव पहल के लिए मैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रकाशन की सफलता के लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं राज्य के सभी नागरिकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

(चन्नन्नू मोहन श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

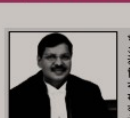

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए में अधिनिहित अवधारणा "न्याय सबके लिए" को साकार करने के लिए पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थाएं कार्यरत हैं। यहे विधिक सेवा संस्थाएं, समाज के उपेक्षित व वंचित वर्ग को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों को संरक्षित करने एवं उन्हें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विधिक जागरूकता व विधिक साक्षरता की कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

विधिक सेवा संस्थाओं की गतिविधियों में विधिक जागरूकता व विधिक साक्षरता का अत्यन्त महत्व है। विधिक जागरूकता या विधिक साक्षरता का मुख्य उद्देश्य आमजन को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के नियमन में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है।

यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने समाज के एक बड़े वर्ग तक, दराराज ग्रामीण इलाकों, शहरी क्षेत्र, सभी तक विधिक जागरूकता व विधिक साक्षरता पहुँचाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन से यह नवाचार प्रारम्भ किया गया है।

मेरा यह मानना है कि समाज में जितनी अधिक विधिक जागरूकता होगी, आमजन को अपने अधिकारों व दायित्वों की जितनी अधिक जानकारी होगी, जितना अधिक वे इनके पालन के लिए सजग होंगे, उतनी ही मजबूत न्याय प्रशासन व्यवस्था होगी। विधि के शासन को सही अर्थों में लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सबके अधिकार समान हों और इन अधिकारों की प्राप्ति में लिए सभी के पास समान अवसर हों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के पृष्ठ का उपयोग किया जाकर, बहुत बड़ी संख्या में आमजन तक रोज काम में आने वाले कानूनों तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति शिक्षित व जागरूक बनाने की दृष्टि से यह पहल बहुत ही आशा ही जगाती है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भविष्य में भी जन जागरूकता हेतु इसी प्रकार के नवाचार जारी रखेगा।

मैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अभिनव प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं एवं इस प्रकाशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(बी.आर.गवई)
न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय
कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा संस्थाओं का यह संवैधानिक दायित्व है कि समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गों को निशुल्क सलाह व सहायता मिले, किसी कमजोरी या विवशता के कारण वे न्याय प्राप्ति के समान अवसरों से वंचित नहीं रहें तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

पूरे देश में विधिक सेवा संस्थाएं प्रत्येक स्तर पर कई माध्यमों से विधिक जागरूकता व विधिक साक्षरता के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के पृष्ठ का उपयोग कर बड़े स्तर पर न केवल शहरों में बल्कि गांवों तक विधिक जानकारी व विधिक जागरूकता पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास अपने आप में अनूठा व सराहनीय है। विधि का शासन एवं मजबूत न्याय प्रशासन व्यवस्था तभी साध्य है जब आमजन को कानून और अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति शिक्षित व जागरूक बनाया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस समाचार पत्र प्रकाशन से बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक रोज काम में आने वाले कानूनों तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच सकेगी और उन्हें उनका लाभ मिल सकेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिन लोगों के लाभ के लिए इस प्रकाशन के विचार को क्रियान्वित किया है, यह प्रयास किसी न किसी रूप में उन लोगों के लिए अवश्य ही लाभप्रद होगा।

मैं आशा करता हूं कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रकाशन समाज के उपेक्षित व वंचित वर्गों को विधिक रूप से जागरूक कर न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को साकार करेगा। मैं इस प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूं।

(संदीप नेहरा)
न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय

"जीवन के अधिकार मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और इसके साथ जुड़ी सभी चीजें शामिल है, अर्थात जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे पर्याप्तपोषण, कपड़े और आश्रय और पहने, लिखने और विभिन्न रूपों में खुद को अभिव्यक्त करने, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने और साथी मनुष्यों के साथ घुलने मिलने की सुविधाएँ।"

-न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

वर्तमान समय में तीव्रता से विकसित होती दुनिया में, "सुचित समाज की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय है। कानून के परिप्रेक्ष्य में इसका तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जिसे यह सूचना उपलब्ध हो कि उसके सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या साधन उपलब्ध है एवं ऐसे किसी अधिकार के हनन पर क्या उपचार हासिल है। पारम्परिक न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से समान न्याय का अवसर प्राप्त करने से कोई व्यक्ति वंचित ना रहे एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के पास उनके विकास के लिए प्रचलित योजनाओं की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर कार्यरत है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विगत दो दशकों से समय-समय पर पोस्टर होर्डिंग, नुक्कड नाटक एवं अन्य प्रकार से विधिक जागरूकता, नि:शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है। उपरोक्त पारम्परिक तरीकों से यह जानकारी उस वर्ग या क्षेत्र तक सीमित रह जाती है परंतु प्राधिकरण द्वारा दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में यह प्रकाशन इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि प्रदेश सभी शहरों तथा ग्रामीण अंचलों तक प्रचार-प्रसार रखने वाले इस समाचार पत्र के माध्यम से राज्य की विस्तृत आबादी लाभान्वित होगी।

उक्त प्रकाशन द्वारा प्राधिकरण अनुमानित रूप से एक करोड़ से अधिक जनसंख्या को विधिक जागरूकता व साक्षरता प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रकाशन के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा सरल शब्दों में नवीनतम कानूनी जानकारी, वर्ष विशेष के लिए उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं विषय विशेष पर विधिक चर्चा उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्राधिकरण का यह विधि समाचार पत्र नागरिकों को उनके अधिकारों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रत्येक जिला व तालुका स्तर पर कार्यरत विधिक सेवा कार्यालयों तथा संपर्क सूत्रों की निरंतर सूचना उपलब्ध करवाने की दिशा में एक नवीन पहल है। उक्त रूप से नागरिकों को नवीनतम विधिक अधिकार एवं उपचार तथा ऐसे अधिकारों की प्राप्ति को सुलभ करने हेतु प्राधिकरण के किस कार्यालय में व्यक्तिशः या दूरभाष द्वारा संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है, की जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहेगी।

मैं आशा करता हूं कि यह प्रयास हमारे मूल उद्देश्य **"न्याय सबके लिए"** को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। इस प्रकाशन को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे।

(पंकज पण्डारी)
न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्या आप जानते है

1. आपके या आपके परिचित के साथ कोई अपराध घटित होने पर आप क्या करेंगे?

अपराध घटित होने पर आप तुरंत ही बिना कोई देरी किए पुलिस थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करवायेंगे। यदि किसी कारणवश देरी हो जाये तो उसका स्पष्टीकरण देंगे। दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू हुए नये अपराधिक कानून के तहत ऑनलाईन माध्यम से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जा सकती है। ई-मेल से रिपोर्ट भेजने के तीन दिवस में शिकायतकर्ता को थाने पर जाकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे।

2. आप किस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवायेंगे?

सामान्यतः जिस स्थान पर अपराध घटित हुआ है, उस क्षेत्र के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू हुए नये अपराधिक कानून में यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी अन्य क्षेत्र के पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इसे दर्ज करने से इंकार नहीं किया जायेगा बल्कि ऐसा पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज कर इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को भेज देगा। इसे जीरो एफ.आई.आर. कहा जाता है।

3. यदि आपकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाये तो आप क्या करेंगे?

एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किए जाने पर लिखित में डाक से संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी जा सकती है जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो स्वयं अनुसंधान किया जायेगा या पुलिस थाने को अनुसंधान का निर्देश दिया जायेगा।

4. क्या न्यायालय के जरिए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जा सकती है?

यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो न्यायालय में परिवाद पेश किया जा सकता है जिस पर न्यायालय संबंधित थानाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित कर सकता है।

नालसा द्वारा वर्ष 2024 में जारी योजनाएँ एवं विशेष अभियान

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024

बच्चों को विधिक कार्यवाहियों के प्रत्येक चरण में विधिक सेवा उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना जारी की गयी है। योजना के माध्यम से न्याय प्रणाली के भीतर बच्चों के अनुकूल और संवेदनशील वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है ताकि बच्चे मूल्यवान महसूस करें और न्यायिक कार्यवाही में अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित हों। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों व योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी, गैर-सरकारी विभागों के साथ सहयोग स्थापित किया जाता है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष इकाई का गठन किया गया है। इकाई विधि से संघर्षरत बालकों, यौन अपराधों, तस्करी, बाल विवाह, एचआईवी से संक्रमित और प्रभावित बालकों, ट्रांसजेन्डर बालकों को शोषित, अपमानित व उपेक्षित महसूस न हो इसके लिए जन सामान्य से संवाद स्थापित कर सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध करवाती है। पीड़ित बालकों के स्कूल में प्रवेश व पुनः प्रवेश के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर दिव्यांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र व अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विधिक सेवा क्लैम्प स्थापित करती है।

नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024

यह योजना मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को सभी प्रकार की कार्यवाहियों में विशिष्ट कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जारी की गयी है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक इकाई मनोन्यान का गठन किया गया है। जो जन सामान्य से संवाद स्थापित कर मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के विधिक अधिकार, लाभ व उपचार के संबंध में जागरूकता पैदा करती है और मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक-मनोन्याय के माध्यम से घरेलू हिंसा, सम्पत्ति विवाद, वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, पेंशन, रोजगार विवाद व असक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विधिक सहायता, सलाह व विधिक प्रतिनिधि उपलब्ध करवाती है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन, जेल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस डिपो व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मनोन्याय इकाई की जानकारी उपलब्ध रहती है, जहां ऐसे व्यक्ति के पाये जाने पर इकाई को उसके संबंध में जानकारी दी जा सकती है। इकाई द्वारा जिला प्रशासन व अस्पताल प्रशासन से सामन्जस्य स्थापित कर विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किये जाने हेतु तथा असशक्तता प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु विधिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

वृद्ध व लाईलाज बीमारी से ग्रसित कैदियों के लिए विशेष अभियान 2024

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह अभियान वृद्ध कैदियों व लाईलाज बीमारी से ग्रसित कैदियों को प्रभावी विधिक सेवा प्रदान कर उनकी रिहाई तेजी से सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों और लाईलाज बीमारी से ग्रसित कैदियों की पहचान की जाकर उनकी जल्द रिहाई के लिए आवश्यक विधिक सेवा प्रदान करने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जो दिनांक 10.12.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 10.03.2025 को समाप्त होगा। इसके लिए राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर विशेष इकाई का गठन किया गया है। इकाई द्वारा ऐसे कैदियों की पहचान का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

विधिक सेवा संस्थाएं - एक परिचय

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Ph. No.: 011- 23382778, 23071450, Fax No.: 011-23382121
NALSA Helpline Toll-Free Number:15100
Email: nalsa- dla@ nic.in.

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्रा.

विधिक सहायता
पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा

विधिक सेवा
सुलभ न्याय व सरकारी योजनाओं के लाभ दिलवान

विधिक साक्षरता
आम जनता को कानूनों व उनके अधिकारों के बारे में बताना

कोर्ट के बाहर समझौता
लोक अदालत, मध्यस्थता व समझाईश से मामलों का निपटारा

सुप्रीम कोर्ट कहता है कि...

दोषी को दी गई सजा के साथ लगाए गये जुर्माने के अलावा भी पीड़ित पक्ष जुआवजे का हकदार है। जुआवजा पीड़ित को हुये नुकसान की भरपाई है जो सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता।

राजेश अग्रवाल जी उमरसरिया
बनाम
गुजरात राज्य व अन्य
Criminal Appeal No. 2481-2482/2024
Date: 09.05.2024

गत वर्ष दिनांक 8 जुलाई से 3 अगस्त तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस विशेष लोक अदालत में 1000 से अधिक प्रकरणों आपसी सहमति व राजीनामे से निस्तारण हुआ।

इस विशेष लोक अदालत के समापन पर कोविड के दौरान अपने माता पिता दोनों को खोने वाले 1645 बच्चों को चार वर्ष के लिए 45000 रूपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी गई।

अजमेर मुरूवार 25 जुलाई 2024 | 9

एसिड पीड़ितों को मिला प्राधिकरण का सहारा

प्राधिकरण की मासिक बैठक संपन्न, 6 प्रकरणों में 12 लाख 50 हजार प्रतिकर राशि स्वीकृत

2 प्रकरणों में नियुक्त किये विधिक सहायता से निःशुल्क अधिवक्ता

विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला प्रशासन के सचिव अतिरिक्त जिला कलक्टर के नेतृत्व में मासिक बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रशासन के अधिकारियों के साथ मासिक विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सदस्य सचिव अजमेर के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। बैठक में 6 प्रकरणों में 12 लाख 50 हजार रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 2 प्रकरण एसिड अटैक पीड़ितों के थे। जिन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। जिसमें एक प्रकरण में 5 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 2 प्रकरण में विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। जिसमें 1 प्रकरण में 2 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1 प्रकरण में 1 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1 प्रकरण में 1 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1 प्रकरण में 1 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1 प्रकरण में 1 लाख रूपए प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1 प्रकरण में विधिक सहायता उपलब्ध करवाई